79
5.10

वित्तीय स्वीकृति
संख्याः 235/XVII-3/2017-01(21)/2017

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः ~~दिसम्बर, 2017~~ 02 जनवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउण्डेशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के पत्र संख्या–498, दिनांक 11.12.2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII (1)/2016, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत 'राजस्व' पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि ₹ 100लाख (₹ सौ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर–12 के प्राविधानानुसार आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व योजना की गाईडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का व्यय करते हुए शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके व्यय का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

9. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा नियमानुसार कोषागार से आहरण कर निगम को हस्तान्तरित किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'अनुदान सं0– 15' के 'राजस्व पक्ष' ''लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्यव्यय–00–19–मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउण्डेशन के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012, दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या:S1801150039 ,दिनांक 02 दिसम्बर, 2017 तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–2535/ XVII-3/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा–प्रबन्ध निदेशक)।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।